निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 215/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री श्री नारायण निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
2. शंकर लाल पुत्र श्री रामेश्वर
3. गिराज प्रसाद पुत्री स्व॰ रामेश्वर

   निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. तुलसा पुत्र बंशी उर्फ रामसहाय पत्नी ब्रदीनारायण निवासी ग्रामा कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।
6. भौरीलाल पुत्र श्री रामनाथ निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।
7. केशव चन्द पुत्र श्री सुरेश चन्द्र
8. राघव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र
9. साक्षी पुत्री सुरेश चन्द जाति महाजन, निवासी सर्राफ कालोनी, बस स्टेण्ड, तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
0. गोविन्द पुत्र श्री रामगोपाल
1. चन्द्रकान्ता पुत्री गोविन्द शर्मा निवासी 975 गोपाल जी का रास्ता, चौडा रास्ता, नानाजी वाली गली, जयपुर राजस्थान।
2. डॉ॰ त्रिलोक चन्द सदासुखी पुत्र श्री नवीन भास्कर
3. श्रीमती कीर्ति सदासुखी पत्नी त्रिलोक चन्द जैन निवासी हाल मानसर खेडी, तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
4. रामअवतार पुत्र श्री गंगासहाय
5. ओम प्रकाश पुत्र श्री गंगासहाय
6. रामबाबू पुत्र.श्री गंगासहाय
7. रमेश चन्द पुत्र श्री गंगासहाय
8. सुनिता करणावत पत्नी अनूप करणावत निवासी 71, पूर्णिमा बिल्डिंग फूलमनु कापरेटिव सोसायटी, रिंग रोड, मालबार मुम्बई ।
9. श्रीमती ललिता गुप्ता पत्नी श्री रामराय गुप्ता निवासी मकान नम्बर 5 प्रताप नगर, शास्त्री. नगर, जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

0. श्रीमती संतोश स्यारा पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी 4262 नथमल जी का चौक, जौहरी बाजार जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2023 व 120/2012 ब उनवानी छोटी बनाम रामप्यारी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री एस॰एल॰ वाडिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित है।
2. श्री अखिलेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ओर से ।

निर्णय **दिनांक 25.11.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 50/2023 व 120/2012 ब उनवानी छोटी बनाम रामप्यारी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अखिलेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज नही है एवं पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने भी प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में प्रार्थी ने उनके विरूद्व पुलिस थाना बस्सी मे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसे पुलिस ने दौराने जांच दस्तावेज फर्जी मानते हुय मुल्जिम गिराज को जेल भेजा गया । इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काफी तेज तर्राट किस्म के व्यक्ति है एवं प्रभावशील व्यक्ति है एवं राजनैतिक पहुंच वाले है। राजनैतिक प्रभाव की वजह से फर्जी कागजातों के आधार पर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी से सांठ गांठ कर रखी है और उक्त पत्रावली में अपने पक्ष में निर्णय कराने पर आमदा है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निरतारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2023 व 120/2012 ब उनवानी छोटा बनाम रामप्यारी व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.12.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी व सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner